Photo

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अपील वाद सं0–138/2013

सुनिल सिंह एवं अन्य

बनाम

ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अन्य

आदेश

2.5.15 प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीवान सदर द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–95/205/2012–13 में दिनांक 04.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

वाद का संक्षिप्त तथ्य यह है कि वर्तमान विपक्षीगण जो कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष एक वाद दायर कर यह दावा किया गया विवादित भूमि जिसका कुल रकबा 5 कट्ठा 7 धुर है और जो कि खाता सं0–63, सर्वे नं0–125 मौजा पोखरेड़ा जिला–सिवान में स्थित है वह भूमि उनके दादा विन्धयाचल प्रसाद और अन्य को नीलामी में प्राप्त हुई थी तथा कालान्तर में निष्काषण वाद सं0–243/1933 में पारित आदेश के पश्चात् उक्त भूमि पर उनका दखल–कब्जा प्राप्त हुआ। आगे तथ्य यह है कि वर्त्तमान अपीलार्थीगण अपने को उक्त विवादित भूमि का खतियानी रैयत के रूप में दावा करते हुए उक्त भूमि से उन्हें वेदखल करने का प्रयास कर रहे है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 04.04.2013 को आदेश पारित करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि अगर विपक्षीगण (वर्त्तमान अपीलार्थी) को किसी प्रकार का विरोध अगर नीलामी एवं निष्काषण वाद में पारित आदेश से है तो वे सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष उसको चुनौती दे सकते है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थीयों द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा विपक्षी के रूप में विरोध पत्र दाखिल कर वास्तविक तथ्य निम्न न्यायालय के समक्ष रखा गया था परन्तु विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बिना अभिलेख का अध्ययन किए और विरोध पत्र पर विचार किए ही कानून एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया। इन्होंने आगे यह दलील दी कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अभिधान एवं दखल–कब्जा का निर्णय करने की शक्ति बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के तहत प्राप्त नही है इसलिए उक्त आक्षेपित आदेश खारिज की जाये।

दूसरी ओर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश सही है। इनका आगे कथन है कि यद्यपि खतियान में

विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है परन्तु इस पर दखल–कब्जा विपक्षीगण के पूर्वजों को नीलामी एवं निष्काषण वाद सं0–243/1933 में पारित न्याय निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ और इनके नाम पर जमाबंदी भी चल रही है। ऐसी स्थिति में यह अपील वाद खारिज योग्य है।

वाद के सभी तथ्यों, परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का दावा खतियान में इन्दराज़ के आधार पर की जा रही है जबकि दूसरी तरफ विपक्षीगण का दावा निष्काषण वाद सं0–243/1933 में मुसिफ न्यायालय, सीवान द्वारा पारित न्याय निर्णय पर आधारित है और इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में आदेश भी पारित हुआ है। इसी कारण भूमि उप समाहर्त्ता का आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बार जब सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकार और अभिमान का निर्धारण किया जा चूका था तो फिर नये सिरे से इसका निर्धारण करने की शक्ति बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के तहत सक्षम प्राधिकार को प्राप्त नही है। इतना ही नही विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष दायर वाद में याचित अनुतोष न तो विचारनीय था और न ही यह वाद पोषनीय था क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि अधिकार और अभिधान का निर्णय की जाये जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी सी0डब्यू0जे0सी0 सं0–1091/2013, महेश्वर मंडल एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में विचार व्यक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है जो की स्वीकार नही किया जा सकता, तदनुसार इसे विखंडित करते हुए इस अपील वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त,

सारण प्रमंडल, छपरा।

2.5.15

आयुक्त,

सारण प्रमंडल, छपरा।